



2026:AHC-LKO:40577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

दाण्डिक अपील संख्या - 2065 वर्ष 2025

राकेश एवं 5 अन्य

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से एवं एक अन्य

..... विपक्षीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता	: धीरेन्द्र कु. अग्निहोत्री
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता आकाशदीप शुक्ला

न्यायालय सं. - 13

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

सूचीबद्ध किए जाने के आवेदन पर आदेश

1. सूचीबद्ध किए जाने का आवेदन निरस्त किया जाता है।

अपील पर आदेश

1. सूचीबद्ध किए जाने का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष जून माह के चौथे सप्ताह में किसी तिथि को नियत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। तथापि, अपीलार्थीगण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के विद्वान अधिवक्ता ने मामले की तत्काल सुनवाई हेतु आग्रह किया। तदनुसार, अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

3. वर्तमान अपील इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाए तथा दिनांक 16.04.2025 को विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, लखीमपुर खीरी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 272/2025 (श्रीमती उषा देवी बनाम राकेश एवं अन्य), जो थाना धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या सी-418/2014, धारा 452, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 376(2)(छ) भा.दं.सं. तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)5 के अंतर्गत उद्भूत है, में पारित समन आदेश को अपास्त करते हुए वर्तमान अपील स्वीकार की जाए।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार, पक्षकारों के मध्य विवाद था तथा यह आरोप है कि घटना की तिथि को अभियुक्त-अपीलार्थीगण रात्रि में पीड़िता के घर में घुस गए और उसके पति के साथ मारपीट की तथा तत्पश्चात् पीड़िता को निकटवर्ती खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना रात्रि के समय घटित हुई तथा उक्त घटना के पश्चात् उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पुलिस थाने से संपर्क किया, किंतु अधिकारियों द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अतः पीड़िता ने संबंधित न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3)/बी.एन.एस.एस. की धारा 175(3) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुपालन में संबंधित पुलिस थाने को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता एवं अपीलार्थी संख्या 1 के मध्य पूर्व से भूमि संबंधी विवाद चला आ रहा है और उक्त विवाद के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने से पूर्व ही पक्षकारों के मध्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अंतर्गत कार्यवाही हो चुकी थी।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा विवेचक द्वारा कई स्वतंत्र साक्षियों के कथन भी दर्ज किए गए, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करती है और विवेचना के दौरान एकत्रित संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विवेचक ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य न पाए जाने के निष्कर्ष के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत विरोध प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय द्वारा अग्रिम विवेचना किए जाने का निर्देश दिया गया तथा अग्रिम विवेचना के दौरान भी एक अन्य विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गई और पुनः इस निष्कर्ष के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध बनता नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दो अवसरों पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध न होने के बावजूद, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अंतिम रिपोर्टों को निरस्त कर दिया तथा पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अपीलार्थीगण को तलब कर लिया। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य विद्यमान विवाद के कारण अपीलार्थीगण को झूठा फंसाया गया है और आक्षेपित समन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचक द्वारा एकत्रित संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् विद्वान विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम द्वारा यह पाया गया कि अपराध बनता है। अतः उन्होंने आक्षेपित आदेश में उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया और तत्पश्चात् अभियुक्तगण को तलब किया।

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता-पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी तथा विवेचक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर दिए गए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कथन पर विचार किए बिना अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया। इसके पश्चात् संबंधित न्यायालय ने अग्रिम विवेचना किए जाने का निर्देश दिया और अग्रिम विवेचना में भी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पीड़िता ने पुनः विरोध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त अंतिम रिपोर्ट का विरोध किया। न्यायालय ने पाया कि विवेचक द्वारा एकत्रित सामग्री राज्य के मामले के रूप में कार्यवाही आगे बढ़ाने हेतु पर्याप्त है और तत्पश्चात् विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 16.04.2025 के आक्षेपित संज्ञान/समन आदेश में उल्लिखित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया तथा अभियुक्तगण को तलब किया। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

12. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4(2)(ख) तथा धारा 4(2)(ड) में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि धारा 4(2)(ख) के अंतर्गत किसी अपराध के कारित किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना अनिवार्य है तथा धारा 4(2)(ड) के अंतर्गत विवेचना के पश्चात् विवेचक द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट ने पाया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अन्य दण्डनीय प्रावधानों के साथ-साथ आरोप लगाए गए हैं। संदर्भ की सुविधा के लिए एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4(2) का प्रावधान नीचे उद्धृत किया गया है :

4.कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड— (1) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए, जानबूझकर उन कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, जिन्हें इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित कर्तव्य सम्मिलित होंगे—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(क) सूचनाकर्ता द्वारा मौखिक रूप से दी गई तथा थाना प्रभारी द्वारा लिखित रूप में अंकित की गई सूचना को, सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाने से पूर्व, उसे पढ़कर सुनाना;

(ख) इस अधिनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तथा उसे इस अधिनियम की समुचित धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित सूचना की एक प्रति तत्काल सूचनाकर्ता को उपलब्ध कराना;

(घ) पीड़ितों अथवा साक्षियों के कथन अभिलिखित करना;

(ङ) विवेचना करना तथा साठ दिनों की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करना और, यदि कोई विलंब हुआ हो, तो उसके कारणों को लिखित रूप में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित तथा अनूदित करना;

(छ) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

परंतु यह कि, इस संबंध में लोक सेवक के विरुद्ध आरोप प्रशासनिक जांच की संस्तुति पर ही दर्ज किए जाएंगे।

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित लोक सेवक द्वारा कर्तव्य के किसी उल्लंघन के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा तथा ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिया जाएगा।”

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के कथन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों पर विचार करते हुए, पुलिस रिपोर्ट को आरोप-पत्र के रूप में माना गया और तदनुसार आक्षेपित आदेश द्वारा संज्ञान लिया गया। संदर्भ की सुविधा के लिए दिनांक 16.04.2025 का आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

संलग्नक प्रतिलिपि

14. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा एकत्रित सामग्री को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत तब तक साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि साक्षियों का मुख्य-परीक्षण शपथ पर तथा प्रतिपरीक्षण न कर लिया जाए और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी विचारण के दौरान साक्षियों द्वारा सिद्ध न कर दिए जाएँ। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में ऐसी कोई अनियमितता नहीं है, जिससे बी.एन.एस.एस. की धारा 507 के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही दूषित हो सकती हो। संदर्भ की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सुविधा के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 507 के प्रावधान नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

धारा 507 - ऐसी अनियमितताएँ जिनसे कार्यवाही दूषित हो जाती है-

यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो इस संबंध में विधि द्वारा सशक्त नहीं है, निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है, अर्थात्-

(क) धारा 85 के अधीन संपत्ति को कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है;

(ख) डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य वस्तु के संबंध में तलाशी वारंट जारी करता है;

(ग) शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;

(घ) सदाचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधि के अनुसार सदाचरण बनाए रखने के लिए আবদ্ধ है, उन्मोचित करता है;

(च) शांति बनाए रखने के लिए निष्पादित बंधपत्र को निरस्त करता है;

(छ) भरण-पोषण के लिए आदेश करता है;

(ज) स्थानीय उपद्रव के संबंध में धारा 152 के अधीन आदेश करता है;

(झ) धारा 162 के अधीन लोक उपद्रव की पुनरावृत्ति या निरंतरता को प्रतिषिद्ध करता है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ज) अध्याय XI के भाग ग या भाग घ के अधीन आदेश करता है;

(ट) धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेता है;

(ठ) किसी अपराधी का विचारण करता है;

(ड) किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करता है;

(ढ) धारा 364 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर दण्डादेश पारित करता है;

(ण) किसी अपील का विनिश्चय करता है;

(त) धारा 438 के अधीन किसी कार्यवाही को तलब करता है; या

(थ) धारा 491 के अधीन पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण करता है,

तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी।

15. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संज्ञान लेने वाले विद्वान न्यायालय ने विधि के अनुसार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकृष्णन वरदे; (2014) 3 एस.सी.सी 659 के मामले में पैराग्राफ संख्या 13 एवं 14 में प्रतिपादित विधि के अनुरूप संज्ञान लिया है। पैराग्राफ संख्या 13 एवं 14 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. किंतु यदि कोई मामला पुलिस द्वारा पुलिस थाने में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(क) के अंतर्गत शिकायत के माध्यम से पंजीकृत नहीं किया गया है, तो स्पष्टतः प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेटीय जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि विवेचना करने तथा तत्पश्चात् आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार केवल पुलिस की विवेचना एजेंसी को ही प्राप्त है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अलग से कोई शिकायत भी प्रस्तुत न की गई हो, ऐसी स्थिति में शिकायत संबंधी मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। तथापि, पुलिस मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस संबंध में राय बनाने हेतु आता है कि क्या यह संज्ञान लिए जाने तथा विचारण हेतु मामले को सुपुर्द किए जाने योग्य है। ऐसे मामले में, जो पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से पंजीकृत किया गया है, मजिस्ट्रेट आरोप-पत्र की विवेचना पूर्ण होने तथा पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसमें किसी धारा को न तो हटा सकता है और न ही जोड़ सकता है।

14. अतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि विवेचना अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट तथ्यों के बावजूद उन सभी धाराओं को आरोप-पत्र में सम्मिलित नहीं किया है, जिनके अंतर्गत अपराध गठित होना माना जा सकता है, तो क्या शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता/अभियोजन पक्ष कोई

उपचार प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा। इसका उत्तर स्पष्टतः नकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि यदि विवेचना अधिकारियों ने किसी भी कारणवश प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके आधार पर विवेचना की गई है, के आधार पर सभी अपराधों को आरोप-पत्र में सम्मिलित नहीं किया है, तो ऐसे अपराध गठित करने वाली धाराओं को छोड़ दिए जाने के कारण अभियोजन पक्ष को प्रतिकूल प्रभाव नहीं सहने दिया जा सकता। किंतु इसके पश्चात् एक अन्य प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस कमी को उस मजिस्ट्रेट द्वारा पूरा किया जा सकता है, जिसके समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् संज्ञान लिए जाने हेतु मामला आता है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना विचारण न्यायालय द्वारा ही आरोप विरचित किए जाने के समय, यथास्थिति, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216, 218 अथवा 228 के अंतर्गत अनुमत है। इसका तात्पर्य यह है कि आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अभियोजन पक्ष को आरोप विरचित किए जाने के चरण पर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा कि दिए गए तथ्यों की स्थिति में अभियोजन पक्ष के अनुसार जिन समुचित धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने चाहिए, उन्हें विरचित किया जाए। इसी प्रकार, इस चरण पर अभियुक्त को भी यह प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी कि किसी विशेष प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना चाहिए अथवा नहीं। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह निर्धारित करने का यही उचित मंच है कि विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र में प्रकट तथ्यों के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है अथवा नहीं और किसी विशेष धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है अथवा नहीं।

(बल दिया गया)''

16. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संज्ञान लेने वाला न्यायालय संज्ञान लेते समय आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी धारा को जोड़ या घटा, अपवर्जित अथवा सम्मिलित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना आरोप विरचित किए जाने के समय अनुमत है।

17. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि बी.एन.एस.एस. की धारा 262(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के समतुल्य) के दृष्टिगत आरोप विरचित किए जाने के समय अभियुक्त-आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। संदर्भ की सुविधा के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 262(2) (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के समतुल्य) को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

धारा 262. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा- (1) अभियुक्त, धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) यदि पुलिस रिपोर्ट तथा धारा 193 के अधीन उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की, यदि कोई हो, ऐसी परीक्षा करने के पश्चात्, चाहे वह शारीरिक रूप से अथवा ऑडियो-वीडियो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई हो, जैसा कि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, तथा अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट यह मानता है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।”

18. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफता; (2019) 20 सुप्रीम कोर्ट वाद 539 के मामले में निर्णय पारित किया है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त को तलब किए जाने के समय समन आदेश में कारणों को अभिलिखित किया जाना आवश्यक नहीं है। आगे, उक्त निर्णय की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदीप एस. वोदेयार बनाम कर्नाटक राज्य, (2021) 19 सुप्रीम कोर्ट वाद 62 में पारित अपने निर्णय के पैराग्राफ संख्या 91 में की गई है। सुविधा के लिए प्रदीप एस. वोदेयार (उपर्युक्त) के निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 91 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

91. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपर्युक्त) के निर्णय को इस आधार पर पृथक करते हुए कि वह शिकायत मामले में संज्ञान लिए जाने से संबंधित था, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिए जाने वाले मामले में मजिस्ट्रेट को सामग्री का परिशीलन करने का लाभ प्राप्त होता है, अतः उसके लिए कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है: गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफता, (2019) 20 एस.सी.सी. 539 : (2020) 3 एस.सी.सी. (दाण्डिक) 876-2।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

23. जहां तक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिए जाने का संबंध है, मजिस्ट्रेट को आरोप-पत्र, साक्षियों के कथन तथा विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा एकत्रित अन्य साक्ष्यों का लाभ प्राप्त होता है। विवेचक/थाना प्रभारी दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में तथा विवेचना संबंधी नियमों के अनुसार की गई विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करता है। इस प्रकार एकत्रित साक्ष्य एवं सामग्री का विवेचक के स्तर पर परीक्षण एवं छंटार्ई की जाती है और तत्पश्चात् आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जाता है। उपयुक्त मामलों में आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व लोक अभियोजक की राय भी प्राप्त की जाती है। अतः न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ पुलिस द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री का भी लाभ प्राप्त होता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख) के अंतर्गत, जहां मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है, वहां मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिए जाने की स्थिति में, मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने के कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में मजिस्ट्रेट को केवल अभियुक्त को समन जारी करने का आदेश पारित करना आवश्यक है। अभियुक्त को समन जारी करने का ऐसा आदेश पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों पर विचार करने और स्वयं इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर आधारित होता है कि

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में अभियुक्त को समन जारी किए जाने के चरण पर मजिस्ट्रेट को कोई कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है। यदि आरोप-पत्र विधि द्वारा वर्जित हो अथवा अधिकारिता का अभाव हो अथवा आरोप-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है या उसे अभिलेख पर नहीं लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के लिए आरोप-पत्र को अस्वीकार करने तथा उसे अभिलेख पर न लेने के कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है।

19. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार यह प्रतिपादित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय लघु विचारण करने के लिए सशक्त नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम अखिल शारदा एवं अन्य, (2023) 11 सुप्रीम कोर्ट केसेस 626, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह एवं अन्य, (2023) 18 सुप्रीम कोर्ट केसेस 399 तथा नरेश अनेजा उर्फ नरेश कुमार अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2025) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 604 में पारित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। सुविधा के लिए अखिल शारदा एवं अन्य (उपर्युक्त) के निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 18 नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

18. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया है, का अवलोकन करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि उच्च

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय ने वस्तुतः एक लघु विचारण किया है, जो इस स्तर पर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन का निर्णय करते समय अनुमन्य नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में अवलोकित एवं अभिनिर्धारित किया गया है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कोई लघु विचारण नहीं किया जा सकता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय विचाराधीन मामले के साक्ष्य के मूल्यांकन में प्रवेश नहीं कर सकता है।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात् यह न्यायालय इस मत का है कि इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. तथापि, यह अवलोकित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत करता है, तो संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त आवेदन पर विधि के अनुसार कड़ाई से विचार करते हुए उसका विनिश्चय किया जाएगा।

22. यह भी प्रावधानित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः आवेदन प्रस्तुत किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, विचार करते हुए उसका विनिश्चय किया जाएगा।

23. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अपील का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

दिनांक : 09 जून, 2026

वैशाली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।